

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

मोहन सिंह अन्तर्गत धारा

T.R. Sojati

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा

केस मुकदमा :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं. 19/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
04/08/20	<p>वकील वादीगण उपस्थित।</p> <p>वकील वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/10/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
31/08/20	<p>आवेदन हाजा के पत्रावली/रिपोर्ट/20/200 फाइल 4.8.20 के परिपेक्ष में आशेषित लेख/विचार अन्तर्गत दिनांक 11.8.2020 को विवेक से प्रत्यक्ष (जि.ए.एम.सी.) की परामर्श में पत्रावली प्राप्त कराई।</p> <p>आवेदनकर्ता उचित इत प्रवृत्त प्रवृत्त प्रवृत्त के NOT-PRESS किया है। उचित को नोट-वर आवाने रिपोर्ट गई। तदनुषंग ही अनुपस्थित रहे हैं। आवेदन आवेदनकर्ता उचित इत NOT-PRESS करने से उचित पर श्रावण किया जा रहा है। पत्रावली केवल सुमर लेख अन्तर्गत में कम हो। नोट कमीप जा रहा तदनुषंग प्रवृत्त/लेख अन्तर्गत जमा हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी सोजत (विवा-वली) क.क.</p>	<p>Not Press Advs.</p>